

पटना समाहरणालय, पटना

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा

नामांकन सूचना

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास (अब्दुल क्यूम अंसारी, छात्रावास रानी घाट), पटना में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन हेतु आवासन क्षमता एवं रिक्तियों की विवरणी निम्नवत है:-

क्र०	छात्रावास का नाम	कोट	आवासन क्षमता	कुल रिक्ति	पिछड़ा वर्ग (BC-II)	अति पिछड़ा वर्ग (BC-I)	दिव्यांगजन छात्र
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास (अब्दुल क्यूम अंसारी, छात्रावास, रानी घाट, पटना)	पिछड़ा वर्ग (BC-II)	100	24	19	0	05

- नोट:- छात्रावास में 05 प्रतिशत आसन दिव्यांगजन छात्रों (BC-II/BC-I) के लिए आरक्षित रहेगा।
 - विभागीय वेबसाइट (<https://bcebconline.bihar.gov.in>) पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र भर्ने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है:-

1	ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि	21-07-2026
2	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	10-08-2026

➤ नामांकन की शर्तें:-

- चयन प्रक्रिया विभागीय नियमानुसार (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के संचालन मार्गदर्शिका-2022) होगा।
 - छात्र को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
 - पटना जिला में स्थित छात्रावास में आवासन के लिए छात्र किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हो।
 - अर्हता प्राप्त आवेदनों में गत वर्ष परीक्षा में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 - छात्रों का आवेदन केवल ई-कल्याण पोर्टल से ही मान्य होगा। वांछित कागजात ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- नोट:- विभागीय प्रावधान के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में 80% अति पिछड़ा वर्ग एवं 40% पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन लिया जाना है।

आवेदन के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रेमाणित प्रति अपलोड करनी होगी:-

- आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर।
- RTPS नम्बर युक्त जाति प्रमाण-पत्र।
- RTPS नम्बर युक्त निवास प्रमाण-पत्र।
- RTPS नम्बर युक्त आय प्रमाण-पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- पटना स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य।
- आधार कार्ड की प्रति।
- विगत परीक्षा के अंक-पत्र की प्रति।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सहित)।
- चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति।

आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नामांकन रद्द करने का अधिकार नामांकन समिति का होगा।

उप विभागाध्यक्ष
पटना।

14/7/24